

भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *121
19 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए

इस्पात उद्योग से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन

*121. श्रीमती वंदना चव्हाण:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार द्वारा इस्पात उद्योगों से प्रतिवर्ष उत्सर्जित होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ₂) गैस की मात्रा की निगरानी की जाती है, यदि हाँ, तो विगत तीन वर्षों के दौरान देश में इस्पात संयंत्रों से हुए उत्सर्जन का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार इस उद्योग को डीकार्बोनाइज्ड स्टील अथवा ग्रीन स्टील में रूपांतरित करने को प्रोत्साहित कर रही है, यदि हाँ, तो उक्त अवधि के दौरान उठाए गए कदमों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) ग्रीन स्टील के बाजार का विस्तार करने संबंधी रणनीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री

(श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया)

(क) से (ग): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“इस्पात उद्योग से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन” के संबंध में श्रीमती वंदना चव्हाण, संसद सदस्य द्वारा दिनांक 19 दिसंबर, 2022 को पूछे जाने वाले राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *121 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) समय-समय पर युनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) को भारत के राष्ट्रीय संचार (एनसी) और द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (बीयूआर) प्रस्तुत करता है, जिसमें राष्ट्रीय ग्रीन हाऊस गैस (जीएचजी) की इन्वेंटरी शामिल है। वर्ष 2010, 2014 तथा 2016 के लिए भारत की पहली, दूसरी तथा तीसरी बीयूआर में लौह एवं इस्पात क्षेत्र से क्रमशः 95.998 मिलियन टन सीओ₂, 154.678 मिलियन टन सीओ₂ और 135.420 मिलियन टन सीओ₂ उत्सर्जन संसूचित किया गया था।

(ख): जी हाँ, इस्पात मंत्रालय वर्ष 2070 तक निवल-शून्य लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए, अल्पावधि (वित्त वर्ष 2030) में ऊर्जा एवं संसाधन दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि के उपयोग को बढ़ावा देकर कार्बन उत्सर्जन में कमी करने पर ध्यान दिया गया है। मध्यावधि (2030-2047) में ग्रीन हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण पर ध्यान दिया गया है। दीर्घावधि (2047-2070) में परिवर्तनकारी वैकल्पिक प्रौद्योगिकीय नवाचार निवल-शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए, इस्पात मंत्रालय विभिन्न हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क में है। वित्त वर्ष 2022 में, संपन्न हुई संसदीय परामर्शदात्री समिति की दो बैठकें इस्पात क्षेत्र में अकार्बनीकरण एवं संसाधन दक्षता में सुधार को समर्पित थीं।

इस्पात उद्योग में अकार्बनीकरण को बढ़ावा देने हेतु किए गए अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (1) इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019 इस्पात निर्माण में कोयले की खपत को कम करने के लिए स्वदेशी रूप से उत्पादित स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाती है।
- (2) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन तथा उपयोग के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की है। इस्पात क्षेत्र को भी इस मिशन में एक हितधारक बनाया गया है।
- (3) मोटर वाहन (वाहन विखंडन सुविधा का पंजीकरण एवं कार्य) नियम सितंबर, 2021 इस्पात क्षेत्र में स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाएगा।
- (4) एमएनआरई द्वारा जनवरी, 2010 में शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी सहायता प्रदान करता है।
- (5) नेशनल मिशन फॉर एन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएन्सी के अंतर्गत परफॉर्म, एचीव एंड ट्रेड (पीएटी) योजना ऊर्जा खपत को कम करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- (6) इस्पात क्षेत्र ने आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण परियोजनाओं में वैश्विक रूप से उपलब्ध श्रेष्ठ उपलब्ध प्रौद्योगिकियों (बीएटी) को अपनाया है।
- (7) जापान के नवीन ऊर्जा एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास संगठन (एनईडीओ) मॉडल को इस्पात संयंत्रों में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए कार्यान्वित किया गया है।

(ग): हरित इस्पात के बाजार को विस्तार देने की रणनीतियों में सार्वजनिक खरीद में हरित इस्पात की माँग के सृजन तथा उपभोक्ता आपूर्ति श्रृंखला में निम्न कार्बन उत्सर्जन वाले उत्पादों के निर्माण के लिए हरित इस्पात की खपत हेतु जागरूकता के प्रसार की परिकल्पना की गई है।
